न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 143 / 2023 वाद
GCMS No. – 2023 / 497

सुमित्रा पुत्री किशनदान चारण निवासी निम्बोदा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज.

–वादीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा

– प्रतिवादींगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: : निर्णय :: दिनांक :– 29.12.2023

उपस्थित :– 1– प्रार्थिया स्वयं – अधिवक्ता वादीया
2– तहसीलदार निम्बाहेड़ा – अधिवक्ता प्रतिवादी नम्बर 01

वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीया ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीया की पुश्तैनी पैतृक कृषि आराजीयात वाके ग्राम निम्बोदा पटवार हल्का निम्बोदा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता नं0 28 की आराजी नं0 379 रकबा 0.87 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। साक्ष्य में नकल जमाबंदीयां पेश हैं।

2. वादग्रस्त आराजीयात मुताबिक राजस्व रेकार्ड ग्राम निम्बोदा में राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत् 2077–80 में खाता सं. 28 आ.न.379 रकबा 0.87 हैक्टयेर किस्म माल –3 खातेदार किशनलाल पिता दल्ला जाति चारण सा. निम्बोदा के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया के पिता किशनदान पिता करणा चारण निवासी निम्बोदा की मृत्यु दिनांक 21.06.2015 को हुई है। प्रार्थिया सुमित्रा के दादाजी का नाम श्री करणा चारण है किन्तु वर्णित खाता संख्या में प्रार्थिया के दादाजी का नाम दल्ला दर्ज है जिसे प्रार्थिया के दादाजी का बोलता नाम दल्ला के बजाय श्री करणा चारण घौषित करा कर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की अधिकारी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:57 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थिया सुमित्राबाई पिता किशनदान के पिता का नाम किशनदान पिता करणादान चारण है, जिसको करणीदान के नाम से भी पुकारा जाता था, लेकिन मौतबिरान ने प्रार्थिया के दादाजी करणा का बोल–चाल का नाम दल्ला होना नहीं बताया। करणा तथा दल्ला एक ही व्यक्ति होने के बारें में अनभिज्ञता जाहिर की, जिससे नाम शुद्धि कर नामांतरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया ,जिसमें करणा और दल्ला का नाम का व्यक्ति एक ही है। प्रार्थीया ने एकमात्र अपना शपथपत्र साथ सलंग्न किया है।

4. वादीया ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज के रूप में ग्राम निम्बोदा पटवार हल्का निम्बोदा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के सम्वत् 2077–80 में खाता नं0 28 की आराजी नं0 379 रकबा 0.87 हैक्टेयर भूमि की प्रति, मृत्यु प्रमाण की प्रति, शपथ पत्र की प्रति पेश की है।

5. प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया । प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम निम्बोदा में राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत् 2077–80 में खाता संख्या 28 के आराजी नम्बर 379 रकबा 0.87 हैक्टयेर प्रार्थिया सुमित्राबाई पिता किशनदान के पिता का नाम किशनदान पिता करणादान चारण है, जिसको करणीदान के नाम से भी पुकारा जाता था। तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार करणा तथा दल्ला एक ही व्यक्ति होने के बारें में अनभिज्ञता जाहिर की, जिससे नाम शुद्धि कर नामांतरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया ,जिसमें करणा और दल्ला का नाम का व्यक्ति एक ही है।

आदेश

वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद पत्र न्यायालय में साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:57 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (**R.A.S.**)

प्रकरण संख्या – 143 / 2023 वाद
GCMS No. – 2023 / 497

सुमित्रा पुत्री किशनदान चारण निवासी निम्बोदा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज.

–वादीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा

– प्रतिवादींगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली आज दिनांक को वादीया की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद पत्र न्यायालय में साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज दिनांक 29.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:57 IST
Reason: SelfAttested